न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकरण संख्या 219 बी/2024

हृदयांश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

....वादी

–: बनाम ::–

(1). सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज
(2). श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार
(3). शालिनी साहू पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार
जाति जाट निवासीयान चक 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
(4). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता –– वादी
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता ––प्रति. सं. 1 से 3
3. पैरोकार राज –– प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय –::

दिनांक :– 28.11.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 8/35 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.215 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम से 304/1215 हिस्सा यानि 0.304 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक, इसी चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 7/36 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम से 316/1265 हिस्सा यानि 0.316 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक, चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59/38 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम से 8/25 हिस्सा यानि 2.024 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक, एवं चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/5 के मुरब्बा नम्बर 1, 8, 11, 15, 26 की कुल 17.219 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम से 3052/17219 हिस्सा यानि 3.052 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राज है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 4 सी छोटी के खाता संख्या 8, 7, 59, 6 की कृषि भूमि वादी के दादाजी द्वारा पैतृक कृषि भूमि से प्राप्त राशि से खरीद कर वादी के पिताजी यानि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाई गई इसलिए उक्त सम्पति विरास्तन सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू समझौता अनुसार चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 8/35 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.215 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 304/1215 हिस्सा यानि 0.304 है. कृषि भूमि जमावन्दी मुताबिक एवं चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 7/36 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 316/1265 हिस्सा यानि 0.316 है. कृषि भूमि जमावन्दी मुताबिक वादी हृदयांश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को घरेलू बंटवारा में दी गई जिसका वादी काबिज काश्त है। उक्त घरेलू बंटवारा में आई कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 27/10/2024 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है, यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने एवं प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है । अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमावन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 8/35 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.215 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 304/1215 हिस्सा यानि 0.304 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताविक को एवं चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 7/36 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 316/1265 हिस्सा यानि 0.316 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक कृषि भूमि वादी हृदयांश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 07/11/2024 को राजीनामा पेश किया गया तथा उक्त कृषि भूमि वादी की घोषित करने में सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ, स्टेट जवाब में अंकित कथनानुसार भूमि विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है, राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वाद पत्र में वर्णित भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है जिसके बारे में कोई विरोधाभासी कथन नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।

हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिताजी की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत विभाजन करवा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज की चक 4 सी छोटी के अन्य खाता संख्या 59/38, खाता संख्या 6/5 में भूमि है जिसमे प्रतिवादी संख्या 3 शालिनी साहू पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार का हिस्सा की भूमि को सुरक्षित रखते हुए वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

–::: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज की चक 4 सी छोटी के अन्य खाता संख्या 59/38, खाता संख्या 6/5 में भूमि है जिसमे प्रतिवादी संख्या 3 शालिनी साहू पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार के हिस्सा की भूमि को सुरक्षित रखते हुए वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 8/35 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.215 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 304/1215 हिस्सा यानि 0.304 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को एवं चक 4 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 7/36 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्ज 316/1265 हिस्सा यानि 0.316 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक कृषि भूमि वादी हृदयांश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतू स्टाम्प प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे उक्त वर्णित भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैर मुमकीन) एवं ऋण भार की स्थिती पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner